दा.प्र.क्रमांक 206/2011
शासन विरूद्ध अखिलेश पाण्डेय वगैरह

Witness No 28 Deposition taken on the

17–08–2026 witness's apparent Age 41 वर्ष

States on affimation On Oath My name is संदीप शर्मा

s of श्री गेंदराम शर्मा Occupation प्राईवेट जॉब

Address साकिन खमतराई , थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर छ.ग.

समयः–04.10 बजे प्रारंभ

01. मै वर्ष 2011 में होटल शारदा गोल बाजार बिलासपुर में मैनेजर के पद पर कार्यरत था । पुलिस वालो ने मुझसे क्या कार्यवाही किये आज मुझे याद नहीं है । गवाह को **जप्ती पत्रक प्र.पी.31** दिखाये जाने गवाह ने उसके ब से ब व स से स भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । गवाह द्वारा घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया गया ।

नोट –इसी स्तर पर अभियोजन की ओर से साक्षी का धारा –154 साक्ष्य अधिनियम ,1872 के अनुसार सूचक प्रश्न पुछने की अनुमति चाहि गई, विचार बाद अभिलेख के अवलोकन के उपरान्त अनुमति दी गई।

02. यह कहना सही है कि दिनांक 09.09.2011 को पुलिस वालों ने 18.30 बजे शारदा होटल से मुझसे चेक आउट रजिस्टर पेज क्रमांक 170 सिरियल नंबर 22304 एवं कम्प्यूटर से दिनांक 18.06.2011 से 20.06.2011 तक चेक आउट होने का डिटेल प्रिंट आउट जप्त किये थे । उक्त रजिस्टर की छायाप्रति सत्यापित कर पुलिस वालो को सौप कर मेरे द्वारा मूल रजिस्टर को अपने आधिपत्य में लिया था। उक्त रजिस्टर की सत्यापित प्रति आर्टिकल ए–11 से प्रदर्शित किया गया है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री विवेक पाण्डेय, एम.एस. खाण्डे वास्ते अभियुक्त चन्द्रमणी, रविरंजन, संजीत कुमार, जैनी डामिनी, त्रिभूवन, चेतन, आकांक्षा चन्द्रा, योगेश देवांगन, अनन्या वाजपेयी, हिरालाल, आकाश जायसवाल, हेमंत दीक्षित, सौरभ साहू , डोमार सिंह, लोकेन्द्र कश्यप, खुशबू , कु. सीमा पटेल, हर्षनोवा पाण्डेय, आकांक्षा टेडर , लव देवांगन चन्द्रभान गेंदले, प्रीतिबाला सुमन ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री अशोक सिंह ठाकुर वास्ते अभियुक्त प्रीति सोनी, सृष्टि गुप्ता, पुनम देवांगन, ऋषभ राजपूत, प्रतीश साहू, नरेन्द्र देवागंन, रतिकेष, दीपक गुप्ता, नंदू कुमार पटेल, टेसु केसरवानी

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री रूपेश कुमार तिवारी वास्ते अभियुक्त बैजनाथ गुप्ता, मुन्ना गुप्ता, पायल यादव, बलविन्दर यादव, भाषीता साहू ।</u>

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री चन्द्रहास पाण्डेय वास्ते अभियुक्त रतिन्द्र मण्डल</u>

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री विजय दुबे वास्ते अभियुक्त रणधीर चौधरी एवं डी.बी साहू ।</u>

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री छविराज सिंह क्षत्रिय वास्ते अभियुक्त पुनम भगत</u>

03. यह कहना सही है कि मै शारदा होटल में मैनेजर के पद पर किस दिनांक से किस दिनांक तक पदस्थ था मै नहीं बता सकता । यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी । यह कहना सही है कि पुलिस वालों के द्वारा मुझसे जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । यह कहना सही है कि मैने प्र.पी.31 के दस्तावेजों पर पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किया था ।

<u>प्रतिपरीक्षण स्थगित</u>
<u>समयः– 04.20 बजे समाप्त</u>

साक्षी को उक्त कथन पढकर सुनाये व समझाये जाने पर सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/–

(श्रीमती ऋचा यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तखतपुर (छ.ग.)

सही/–

(श्रीमती ऋचा यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तखतपुर (छ.ग.)